भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधान सभा, रायपुर) -छ(ग.-492005, फोन- 2282530—0771 /2285590 95/ ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in / ro.raipur.ibm@gmail.com



संख्याः बलरामपुर / ग्रेफाइट / खयो—1211 / 2019—रायपुर

दिनांक - 16.08.2019

प्रेषित : सर्वश्री एस जे मिनरल रिसोर्सेस,

प्रोपराइटर श्री ज्योति कुमार बजाज कार्ट सरई रोड, उपर बाजार,

पोस्ट एवं जिला – रांची, झारखण्ड – 834001

Emal- sjmresources@gmail.com

विषयः खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 17(2) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम — इन्द्रावतीपुर, जिला — बलरामपुर—रामानुजगंज (छग) में स्थित इन्द्रावतीपुर ग्रेफाइट खान, क्षेत्रफल — 67.110 है. की खनन योजना का पुनर्विलोकन सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की प्रस्तुति।

संदर्भ: आपका पत्र दिनाक प्राप्त 5/8/2019 महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त क्षेत्र की खनन योजना का पुनर्विलोकन सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की जॉच व खान निरीक्षण के उपरांत इसमें किमयां/त्रुटियों पाई गई हैं। संलग्नक में दर्शाई गयी किमयों/त्रुटियों को सुधारते हुए खनन योजना का पुनर्विलोकन सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की (3) तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां एवं 2 सॉफ्ट कॉपी (CD) इस पत्र के जारी होने की तिथि से पंद्रह (15) दिनों की अवधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि तीन स्वच्छ प्रतियों के प्रत्येक पृष्ट पर अर्हित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। तथा बिन्दुवार किमयां सुधार का विवरण भी प्रस्तुत करें।

आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खनन योजना का पुनर्विलोकन सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की तीन स्वच्छ बाउण्ड प्रतियां पूर्ण सावधानी से तैयार करें अन्यथा पुनः किमयां/त्रुटियां पाए जाने की स्थिति में यह आपको संशोधनार्थ न लौटाते हुए इस पर अंतिम कार्रवाई कर दी जायेगी।

आप कृपया खनन योजना का पुनर्विलोकन सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय आश्वासन एम सी डी आर 2017 के अनुसार पाँच वर्ष की अवधि का (Financial Assurance) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पक्ष में प्रस्तुत करें। वित्तीय आश्वासन के अभाव में खनन योजना का पुनर्विलोकन सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना अपूर्ण मानते हुए अंतिम कार्रवाई कर दी जाएगी।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

(बी एल. गुर्जर) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिः

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर। (ई मेल द्वारा)
- 2. श्री आर के प्रकाश, क्वा. नं. —102, रामेश्वरम अपार्टमेंट, फेस —2, अशोक कुन्ज, अशोक नगर, रांची, झारखण्ड — 834002

क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो Scrutiny comments on examination of Review of Mining plan including PMCP over an area of 67.11 Hectors in **Balrampur** Dist submitted under rule 17(2) of MOAHE Concession Rule 2016 and 23(B) of MCDR,2017 of Indrawati Graphite Mine of **M/S** S.J.Mineral Resource. The area was inspected last by Shri R.K.Das Sr ACOM on 21/05/2016.

- 1. The co-ordinates of boundary pillars given in the text and plates should be authenticated by state Govt. (DGM) therefore it should be clearly mentioned that the same is authenticate by competent authority or not.
- 2. <u>REVIEW OF EARLIER APPROVED PROPSALS</u>: The review Para should be revised and information should be furnished till date, means from 2009-10 to 2018-19. The period for which approved document or proposal is not there only achievement should be furnished.
- 3. In the given Para the compliance status to be mentioned and copy of violation letter and if any reply to be enclosed.
- 4. Para 5.23 Status Of Compliance of MCDR rules pointed out by IBM for last 5 years are not given as per table with evidence.
- 5. Para 5.25- the statement given is contradictory to the production and despatch statement given in annexure no Vii & VIII.
- 6. As per Rule 15 of MCR, 2016 qualified person should have a degree in mining engineering or post-graduate degree in Geology and professional experience of five year in supervisory capacity. But the relevant experience/and Qualification are not enclosed. Experience is submitted for one person and qualification certificate of other person.
- 7. The following parameters may be considered for the proposal of future exploration programme:
 - **a)** As per Rule 12(4) in the case of existing mining leases detailed exploration (G1 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease shall be carried out within a period of five years from the date of commencement of MCDR, 2017.
 - **b)** Exploratory boreholes to be proposed up to 300 meters or up to discontinuance of ore body, whichever is earlier.
 - But the future exploration proposal is given upto 2023-2024.
- 8. Financial Assurance: The table for calculation of financial Assurance should be as per format given in manual. The green belt is not included in the table for calculation. The correction to be done accordingly.
- 9. The plates been signed by two person Shri R.K.Prakash, Qualified person and other by Md Tauseef Warsi, Geologist. The geologist should signed only geological plan & section if he is employed as per Rule 55 of MCDR,2017. The intimation of employment should be enclosed.
- 10. Annexure no VIII it is mentioned that production carried out up to 2018-19 whereas at other places it is mentioned that no production carried out during last five years period.
- 11. Annual return of last three years have not been submitted to IBM online and Annexure VI may be removed from documents.